सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय में स्थापित प्रक्रियाएं पूरी तरह कार्यात्मक और संतोषजनक हैं। 01.01.2022 से 31.12.2022 तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवालय में प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई मामलों की समग्र स्थिति निम्नानुसार हैं:

i) वर्ष की शुरुआत अर्थात 01.01.2022को लंबित मामलों की संख्या :	131
ii) वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या :	4891
iii) सीपीआईओ/एए को अग्रेषित मामलों की संख्या : [(i) के अनुसार सामने लाए गए मामलों सहित]	4849
iv) 31.12.2022 को लंबित मामलों की संख्या :	42*

* ये मामले आरटीआई आवेदकों के जवाब के लिए उपलब्ध 30 दिनों की समयावधि के दौरान लंबित हो सकते हैं।